

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4786 /

जबलपुर, दिनांक 17/07/2023

श्रीमती रेखा लोधी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 03.02.2023 से 13.03.2023 तक 39 दिवस की अवधि को अनुपस्थित मानते हुए उक्त अवधि को अवैतनिक किया जाता है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4787 /

जबलपुर, दिनांक 17/07/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्रीमती रेखा लोधी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4788 /  
II-13-28/23

जबलपुर, दिनांक 17/07/2023

श्री कमल सिंह राठौर, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को एक्सीडेंट हो जाने के कारण चिकित्सीय दस्तावेज के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 13 (ii) के अनुसार दिनांक 13.03.23 से 02.05.23 तक 51 दिन (prefix 11-03-2023 to 12-03-23) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -


विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4789 /  
II-13-28/23

जबलपुर, दिनांक 17/07/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2154/स्था. ग्वालियर, दिनांक 16/05/2023 के संदर्भ में श्री कमल सिंह राठौर, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र एवं चिकित्सा दस्तावेज एवं अवकाश लेखा की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4790 /

जबलपुर, दिनांक 17/07/2023

II-14-27/23

श्री सोनू नागर, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 04.03.2023 से 13.03.2023 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश भूतलक्षी प्रभाव से एवं दिनांक 14.03.2023 से 03.04.2023 तक 21 दिवस का अवैतनिक स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4791 /

जबलपुर, दिनांक 17/07/2023

II-14-27/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके शापन क्रमांक अवकाश/1139 इंदौर दिनांक 29.04.2023 के संदर्भ में श्री सोनू नागर, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का आवेदन पत्र-2, निर्धारित प्रपत्र एवं चिकित्सा पेपर को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)